

'ग्रामीण सेवा शिविर -2025'


राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत
(पीठासीन अधिकारी ग्रामीण सेवा शिविर/कैम्प कोर्ट -)

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का ~~दोपहरा~~ भू अ. निरीक्षक किवरली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देलदर की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राह ~~बेरीपुरा~~ भू अ. निरीक्षक वृत्त किवरली तहसील देलदर जिला सिरौही की जमाबन्दी सम्वत 2076-2077 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र. सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|----------|-------------|--------------------------------------|---|
| | बेरीपुरा | 138 | साधुपाराध पूर लक्ष्मा | शांति लाल पूर लक्ष्मा राम |



(डॉ. अंशु प्रिया)

आई.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

दिनांक-17.10.2025

क्रमांक / ग्रा.से.शि. / कोर्ट / 2025 / 210

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार देलदर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से अवगत करावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



पीठासीन अधिकारी

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

